भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4192

20 दिसम्बर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुर्वेदिक दवाओं का निर्यात और आयात

4192. श्रीमती मंजू शर्मा:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कुल कितनी आयुर्वेदिक दवाओं का निर्यात और आयात किया गया;

(ख) क्या सरकार ने आयुर्वेदिक दवाओं की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी मांग बढ़ाने के लिए आयातक देशों से अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार आयुर्वेदिक दवाओं के लिए अपना स्वयं का विनियामक ढांचा/प्रक्रिया तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार विश्व भर में आयुर्वेदिक उत्पादों और सेवाओं के विकास और निर्यात के लिए परिषद/नीति गठित करने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके संघटन और उद्देश्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): आयुष मंत्रालय द्वारा ऐसे कोई आंकड़ें नहीं रखे जाते हैं। तथापि, वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएस) के आंकड़ों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात तथा निर्यात की गई आयुर्वेदिक दवाओं की कुल धनराशि का वर्षवार ब्यौरा **संलग्नक-I** में उपलब्ध है।

(ख) और (ग): सरकार ने आयुर्वेदिक दवाओं की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी मांग बढ़ाने के लिए आयातक देशों के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार आयुर्वेदिक दवाओं के लिए निम्नलिखित नियामक ढांचा/प्रक्रिया तैयार की है:

i. आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने अधीनस्थ कार्यालय के रूप में भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग (पीसीआईएम एंड एच) की स्थापना की है। आयुष मंत्रालय की ओर से पीसीआईएम एंड एच आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी तथा होम्योपैथी (एएसयूएंडएच) औषधियों के लिए फार्मूलरी विनिर्देश और भेषजसंहिता मानक निर्धारित करता है जो एएसयूएंडएच औषधियों की गुणवत्ता (पहचान, शुद्धता तथा शक्ति) का पता लगाने के लिए आधिकारिक सार-संग्रह के रूप में काम आते हैं। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, भारत में विनिर्मित, बेची, संग्रहीत या प्रदर्शित की जाने वाली एएसयूएंडएच दवाओं के उत्पादन के लिए इन गुणवत्ता मानकों का अनुपालन अनिवार्य है। एएसयूएंडएच औषधियों की भेषजसंहिताओं और फॉर्मूलरियों, जो अनिवार्य विनियामक मानक निर्धारित करती हैं, में शामिल मानकों तथा गुणवत्ता मापदंडों की पहचान की गई है ताकि इन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)/विश्वभर में प्रचलित अन्य प्रमुख भेषजसंहिताओं द्वारा निर्धारत मापदंडों के अनुरूप तैयार किया जा सके। इन भेषजसंहिता मानकों के कार्यान्वयन से यह सुनिश्चित होता है कि देश के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर आम जनता तक पहुंचने वाली दवाएं पहचान, शुद्धता तथा शक्ति की दृष्टि से उत्तम गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हैं। अब तक, एएसयूएंडएच औषधियों में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल (पौधे/पशु/खनिज/धातु/रासायनिक मूल की एकल दवाएं) पर 2259 गुणवत्ता मानक, एएसयू फॉर्मूलेशन के 405 गुणवत्ता मानक और एएसयू औषधियों की 2666 फॉर्मूलेरी विशिष्टताएं प्रकाशित की जा चुकी हैं। उपर्युक्त के अलावा, भारतीय आयुर्वेदिक भेषजसंहिता (एपीआई) में शामिल 351 एकल औषधियों पर मैक्रो-माइक्रोस्कोपिक तथा टीएलसी एटलस के रूप में सहायक दस्तावेज भी प्रकाशित किए गए हैं। पीसीआईएम एंड एच सरकारी एजेंसियों से नमूने प्राप्त करने के लिए अपीलीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला के रूप में भी कार्य करता है ताकि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

पीसीआईएम एंड एच ने भारतीय आयुर्वेदिक भेषजसंहिता (एपीआई), भारतीय सिद्ध भेषजसंहिता (एसपीआई), भारतीय यूनानी भेषजसंहिता (यूपीआई), भारतीय होम्योपैथिक भेषजसंहिता (एचपीआई) और भारतीय भेषजसंहिता (आईपी) के माध्यम से प्रकाशित/प्रकाशित होने वाले सभी मोनोग्राफों को सुसंगत बनाने का कार्य किया है। पीसीआईएम एंड एच तथा भारतीय भेषजसंहिता आयोग (आईपीसी) ने ''वन हर्ब-वन स्टैंडर्ड'' विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सहयोग के माध्यम से प्रकाशित प्रत्येक मोनोग्राफ में अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता आवश्यकताओं के साथ-साथ भारतीय मानक भी होंगे, ताकि सभी भारतीय मानक वैश्विक मानकों के समकालिक बन सकें।

ii. वर्ष 2021 में, आयुष मंत्रालय ने केंद्रीय क्षेत्रीय योजना, आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई) को लागू किया है और इस योजना के लिए 05 वर्षों के लिए कुल वित्तीय आवंटन 122.00 करोड़ रुपये है। एओजीयूएसवाई योजना के घटक निम्न प्रकार हैं –

क. उच्च मानकों को प्राप्त करने के लिए आयुष फार्मेसियों और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ और उन्नत बनाना।
ख. भ्रामक विज्ञापनों की निगरानी सहित एएसयू एवं एच औषधियों की भेजषसतर्कता।
ग. आयुष औंषधियों के लिए तकनीकी मानव संसाधन एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों सहित केंद्रीय और राज्य नियामक ढांचे को मजबूत बनाना।
घ. भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), भारतीय गुणवत्ता नियंत्रण (क्यूसीआई) और अन्य प्रासंगिक वैज्ञानिक संस्थानों और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास केंद्रों के सहयोग से आयुष उत्पादों और सामग्रियों के मानकों और मान्यता/प्रमाणन के विकास के लिए समर्थन।

iii. इसके अलावा, आयुष उत्पादों के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए, आयुष मंत्रालय नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, आयुष उत्पादों के निम्नलिखित प्रमाणन को प्रोत्साहित करता है:-

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के दिशा-निर्देशों के अनुसार भेषज उत्पाद प्रमाणन (सीओपीपी) की योजना को आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी (एएसयू) दवाओं तक विस्तारित किया गया है। यह योजना केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) द्वारा प्रशासित की जाती है तथा प्रमाण पत्र, सीडीएससीओ, आयुष मंत्रालय और संबंधित राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण के प्रतिनिधियों द्वारा, आवेदक विनिर्माण इकाई के संयुक्त निरीक्षण के आधार पर प्रदान किया जाता है।
- आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी उत्पादों को, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन की स्थिति के अनुसार, गुणवत्ता के तृतीय पक्षीय मूल्यांकन के आधार पर आयुष प्रीमियम मार्क प्रदान करने के लिए, भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) द्वारा कार्यान्वित गुणवत्ता मानकीकरण योजनाएं।

(घ) और (ङ): आयुष निर्यात संवर्धन परिषद (आयुषएक्सिल), एक नवगठित निर्यात संवर्धन परिषद (आयुष मंत्रालय द्वारा स्थापित और वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समर्थित) है, जिसका शुभारम्भ दिनांक 20 अप्रैल, 2022 को गांधीनगर, गुजरात में आयोजित वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन में किया गया था। इसका उद्देश्य आयुर्वेद, होम्योपैथी, सिद्ध, सोवा रिग्पा और यूनानी पद्धतियों के उत्पादों के समुद्रपार निर्यातों की निगरानी करना और इन क्षेत्रों से संबंधित व्यापार संबंधी मुद्दों का समाधान करना है। इसमें निर्यात क्रियापद्धतियों पर अपने सदस्यों के क्षमता निर्माण को बढ़ाने, आयुष उत्पादों के निर्यात पर व्यवसाय दर व्यवसाय बैठकें, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम, रोड शो, सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करना और आयुष स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान का संरक्षण करना अधिदेशित है।

*****

संलग्नक-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान, वाणिज्यिक गोपनीयता एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएस) के आंकड़ों के अनुसार, निर्यात तथा आयात की गई आयुर्वेदिक औषधियों की कुल धनराशि का वर्षवार ब्यौरा निम्न प्रकार है:

निर्यात विवरण:

एचएस कोड	वस्तु	2021-22 मूल्य (यूएस $)	2022-23 मूल्य (यूएस $)	2023-24 मूल्य (यूएस $)
30039011	आयुर्वेदिक पद्धति की औषधियां	1,36,23,321	1,40,89,391	1,24,97,813
30049011	आयुर्वेदिक पद्धति की औषधीय सामग्रियां	17,35,53,933	17,75,43,788	16,23,83,335
कुल		**18,71,77,254**	**19,16,33,179**	**17,48,81,148**

आयात विवरण:

एचएस कोड	वस्तु	2021-22 मूल्य (यूएस $)	2022-23 मूल्य (यूएस $)	2023-24 मूल्य (यूएस $)
30039011	आयुर्वेदिक पद्धति की औषधियां	1,29,74,950	1,15,85,655	99,91,795
30049011	आयुर्वेदिक पद्धति की औषधीय सामग्रियां	20,96,846	24,57,447	26,42,360
कुल		**1,50,71,796**	**1,40,43,102**	**1,26,34,155**

स्रोत: वाणिज्यिक गोपनीयता एवं सांख्यिकी निदेशालय (डीजीसीआईएस) डेटा@
https://ftddp.dgciskol.gov.in /dgcis/userindex.html#!/pcgroupsearch